तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 18/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
25–6–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (सलीम मोहम्मद पुत्र श्री शेर मोहम्मद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या 2 (अविनाश अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s M.K. Enterprise, बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 (गोपाल गोयल) खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Gopal Suppliers, पी.एल. मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली) व प्रतिवादी संख्या 4 (कल्पेश कुमार महेश भाई, M/s Shree Sainath Trading Co., Near Modi Samaj Vadi, Panchal Vas, Deesa (Guj.)) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17–6–2024 को मैसर्स अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सलीम मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) का नमूना संख्या S-2348 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S.937/Act/2024/983 दिनांक 25–6–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः सलीम मोहम्मद व अविनाश गहलोत की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज पठान उपस्थित हुये। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः गोपाल गोयल कल्पेश कुमार महेश भाई को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की दिनांक 17–6–2025 को बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सलीम मोहम्मद की फर्म अमन किराणा स्टोर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) को अविनाश गोयल की फर्म एम.के.एन्टर प्राईजेज से पैकिंग अवस्था में क्रय किया था व पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है। इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 2 अविनाश अग्रवाल की फर्म एम.के. एन्अरप्रोइजेज द्वारा Ghee (Shubh Brand) को पैकिंग अवस्था में प्रतिवादी संख्या 3 गोपाल गोयल की फर्म पी.एल. मार्केट, सुमेरपुर से क्रय किया था व पैकिंग अवस्था में प्रतिवादी सलीम मोहम्मद की फर्म अमन किराणा स्टोर को सप्लाई किया गया है। प्रतिवादी	

.....लगातार

पीठा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

न्यायालय प्रति जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 18/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

संख्या 1 व 2 ने उक्त Ghee (Shubh Brand) का निर्माण व पैकिंग नही की गई है। अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय व निर्माण हेतु निर्माता दोषी है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस प्रकरण से दोषमुक्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17–6–2024 को 11–00 ए.एम. पर मैसर्स अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से सलीम मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद, जाति– मुसलमान, निवासी– रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज उपस्थित मिले। जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) आदि विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सलीम मोहम्मद को उपस्थित गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के 12 पैक्ड जारों (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से Ghee (Shubh Brand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 460/– (रुपये चार सौ साठ मात्र) विक्रेता सलीम मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2348, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर

......लगातार

प्रति. जिला कारि.
सिरोही–307001.

न्यायालय प्रति० जिला कलेक्टर ★ सिरोही (राज०) ★

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 18/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20—6—2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज में प्रतिवादी सलीम मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद से खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के नमूना संख्या S-2348 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S. 937/Act/2024/983 दिनांक 25—6—2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उस खाद्य पदार्थ के निर्माता एवं पैकर उत्तरदायी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के 200—200 एम.एल. के पैक्ड जारों को प्रतिवादी संख्या—1 (सलीम मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद) की फर्म अमन किराणा स्टोर, रोहिडा रोड़, स्वरुपगंज द्वारा मैसर्स M.K. Enterprises, Swaroopganj, Dist. Sirohi से पैक्ड अवस्था में जरिये बिल इनोईस नम्बर M.K/2024—25/558 दिनांक 16—6—2024 से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या—2 (अविनाश अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या—2 (अविनाश अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स M.K. Enterprises, Swaroopganj द्वारा Ghee (Shubh Brand) के पैक्ड जारों को M/s Gopal Suppliers, sumerpur से जरिये बिल इनवाईस नम्बर 047 दिनांक 08—4—2024 से क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या 3 (गोपाल गोयल) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या 3 (गोपाल गोयल) की फर्म M/s Gopal Suppliers, sumerpur द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के 200—200 एम.एल. के पैक्ड जारों को M/s Shree Sainath Trading Co., Near Modi Samaj Vadi, Panchal Vas, Deesa से जरिये इनवोईस नम्बर 229 दिनांक 20—2—2024 से पैक्ड अवस्था में क्रय किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 (कल्पेश कुमार महेश भाई) ने इस प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव को खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के 200—200 एम.एल. के पैक्ड जारों के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के 200—200 एम.एल. के पैक्ड जारों के विक्रय हेतु	

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 18/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	मुख्य रुप से फर्म M/s Shree Sainath Trading Co., Near Modi Samaj Vadi, Panchal Vas, Deesa ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Shubh Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कल्पेश कुमार महेश भाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Sainath Trading Co., Near Modi Samaj Vadi, Panchal Vas, Deesa (Guj.) पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी कल्पेश कुमार महेश भाई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी कल्पेश कुमार महेश भाई को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30–7–2025 को पेश हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,** **सिरोही (राज.)**	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)